उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 24-9-81 को रुड़की स्थित सेण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट में हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री बी०जे०बोदायजी		अध्यक्ष
(2) प्रो०दिनेश मोहन	निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रुड़की।	सदस्य
(3) श्री डी०एस०फौजदार	संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग(सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
(4) श्रीमती प्रोमिला शंकर	उप सचिव, आवास विभाग (सचिव, आवास विभाग की प्रतिनिधि)	सदस्य
(5) श्री आर०एस०माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1	2	3	4
1- दिनांक 18-8-81 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	IV/(1)/81		परिषद के कार्यवृत्त में निम्नलिखित संशोधन करते हुये पुष्टि की गयी:- 1-मद संख्या-2 के क्रमांक 4 के प्रस्तर (2) की नवीं पंक्ति में दो स्थान पर''कब्जा''शब्द लिखा गया। प्रथम''कब्जा''शब्द विलुप्त किया जाय। 2-मद सं0-2 के क्रमांक-10 की तीसरी पंक्ति में ''उपयुक्त''शब्द के स्थान पर उपलब्ध''लिखा जाय। 3-मद सं0-2 के क्रमांक-17 में मऊ के आगे''जिला आज़मगढ़''कोष्टक में लिखा जाय। उसी प्रस्तर में''जिन''के स्थान पर''इन''शब्द लिखा जाय। 4-मद सं0-2 में क्रमांक-22 के अंतिम प्रस्तर की अन्तिम पंक्ति में सदस्य, आवास परिषद के आगे''से''लिखा जाय और उसके बाद''परामर्श''शब्द के आगे''से''शब्द को विलुप्त समझा जाय। 5-मद सं0-8 में प्रथम पंक्ति में ''मेरठ हापुड़ के बीच डेश बढ़ा दिया जाय।

909006

1	2	3	4
			6- मद सं0-23 में ''प्रशासक लखनऊ नगर महापालिका'' के स्थान पर ''उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण'' लिख दिया जाय और अन्तिम दो पंक्तियों में ''लखनऊ विकास प्राधिकरण'' के स्थान पर ''वह'' लिख दिया जाय। 7- मद सं0-27 के क्रमांक (1) तीसरी पंक्ति में ''जाय'' शब्द बढ़ा दिया जाय। 8- मद सं0-36 के द्वितीय प्रस्तर में लिये गये निम्न निर्णय को मद सं0-38 व 39 में भी जोड़ दिया जाय:- ''यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त भवनों के निर्माण की प्रगति की मानीटरिंग समय समय पर की जाय और प्रगति से परिषद को अवगत कराया जाय। 9- कार्यवृत्त में मद सं0-43 के आगे एक पैरा सं0-44 जोड़ दिया जाय जो निम्नवत् है:- ''प्रोफेसर दिनेश मोहन के प्रस्ताव पर परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परिषद की मानीटरिंग कमेटी की अगली बैठक हरिद्वार में दिनांक 23-9-81 को प्रातः 11 बजे बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार के अतिथि गृह में रखी जाय और परिषद की बैठक अगले दिन बृहस्पतिवार दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को लखनऊ में सी0बी0आर0आई0 के कार्यालय में प्रातः 10-30 बजे से रखी जाय। परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि भविष्य में एक बैठक आगरा में आयोजित की जायेगी''
2- परिषद की बैठक दिनांक 18-8-81 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	IV /(2)/81	परिषद द्वारा दिनांक 18-8-81 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- वाहनों के क्रय करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से की जा रही कार्यवाही की जानकारी श्रीमती प्रेमिला शंकर, उप सचिव, आवास अनुभाग-2 द्वारा कराई गयी। उन्होंने इंगित किया कि मामला वित्त विभाग के सम्मुख विचाराधीन है। श्रीमती शंकर से अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुरूप ही मानकों को निर्धारित करवा कर शासनादेश निर्गत कराने की चेष्टा की जाय ताकि जैसे ही परिषद में कोई नया वृत्त/खण्ड/इकाई खुले उसके लिये वाहन क्रय करने हेतु शासन को प्रत्येक मामले में संदर्भ भेजने की आवश्यकता न रह जाय। यह अनुरोध भी किया गया कि शासनादेश शीघ्र ही निर्गत कराने हेतु प्रयास किया जाये। वृ0प0उ0	

1	2	3	4

2- सहायक निदेशक(प्रचार) के पद के संबंध में विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस पद को उन्नीकृत कर इसका वेतनमान 800-1450 निर्धारित कर दिया जाय ताकि उपयुक्त व्यक्ति का चयन यथाशीघ्र किया जा सके। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि यदि अभी वर्तमान वेतनक्रम के अनुसार विज्ञापन न निर्गत किया गया हो तो उन्नीकृत वेतनमान(800-1450) को इंगित करते हुये विज्ञापन जारी किया जाय।

3- राजस्व सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19-9-81 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी आवास आयुक्त महोदय ने परिषद को करायी। परिषद ने यह निर्णय लिया कि दो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन यथाशीघ्र किया जाय। साथ ही शासन से यह अनुरोध किया जाय कि चारों विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी भविष्य में परिषद के ही कार्यालयों में बैठने के लिये निर्देशित किये जाय ताकि परिषद के अधिकारीगण तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारीगण के लिये आपस में तालमेल बना रहे। यह भी निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त का इन अधिकारियों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रशासनिक नियंत्रण जरूर होना चाहिये जैसे, उनके आकस्मिक अवकाश और यात्रा कार्यक्रम आदि को स्वीकृत करना और उनकी चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि करते समय संबंधित जिलाधिकारी का आवास आयुक्त की अभियुक्ति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेना चाहिये। इस लिये इस संदर्भ में परिषद के इन विचारों की जानकारी कराते हुये शासन के आवास तथा राजस्व विभागों को लिख दिया जाय और राजस्व विभाग व्दारा उपयुक्त आदेश शीघ्र ही निर्गत कराने की चेष्ठा की जाय।

4- शासन स्तर पर माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक शीघ्रातिशीघ्र आयोजित कराने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाय।

5- राम सागर मिश्र नगर के 80 मध्यम आय वर्ग एम0 ए0-75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के सम्बन्ध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर पूर्व निर्णयानुसार अभी तक बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है। सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर बैठक शीघ्र सम्पन्न करायी जाय।

6- वर्क साइट रजिस्टर वास्तव में सभी कार्यस्थलों पर रखा जा रहा है या नहीं इसकी स्थल पर जाँच करायी जाय। उससे फिर परिषद को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

1	2	3	4

7- परिषद को कालोनीज़ की स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास के स्तर पर अपेक्षित बैठक शीघ्रताशीघ्र आयोजित करायी जाय।

8- परिषद के लेखों को ''कम्प्यूटराईज़'' करने के पूर्व लेखों का रिकंसिलियेशन का काम शीघ्रता से कराया जाय और इसे विलम्बतम वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा कर दिया जाय। प्रगति की सूचना परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।

9- ''कारपोरेट प्लान'' को तुरन्त ही अन्तिम रूप देकर अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

10- आगरा की कमला नगर आवास योजना में ग्राम लश्करपुर में भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक की तिथि शीघ्र निश्चित कराकर बैठक सम्पन्न करायी जाय।

11- परिषद की सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता की वांछित आख्या अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।

12- परिषद द्वारा विभिन्न नगरों में निर्मित आवासीय भवनों में से कुछ प्रतिशत भवन हाजतमंद व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु आवास आयुक्त महोदय को अधिकृत करने के सम्बन्ध में शासन के आदेश शीघ्र प्राप्त करने की चेष्ठा की जाय।

13- जल निगम से श्रीमताल में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में शीघ्र वार्ता कर जो निष्कर्ष निकले की जानकारी परिषद की अगली बैठक में अवश्य कराई जाय।

14- ''रिवालविंग फण्ड'' के सम्बन्ध में श्री टी०एन०दवे, उप सचिव, वित्त के सम्मुख बैठक शीघ्र आयोजित करायी जाय और बैठक में लिये गये निर्णयों से परिषद को अगली बैठक में अवश्य अवगत कराया जाय।

15- परिषद के अधिनियम में अब तक शासन के आवास विभाग को भेजे गये संशोधनों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी कराने की चेष्ठा की जाय, जिससे अधिनियम में संशोधित प्राविधानों का प्रख्यापन निकट भविष्य में हो सके।

16- परिषद के निर्णय हेतु इस मामले में एक क्रमवत: पूर्ण टिप्पणी अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय जिसमें विधि अधिकारी द्वारा दी गयी राय भी उद्धरित हो।

17- वांछित सूचना शासन को सर्वेक्षण कराकर यथाशीघ्र भेज दी जाय।

क०प०उ०

1	2	3	4

परिषद के कार्यक्षेत्र में मऊ(जिला-आज़मगढ़ खलीलाबाद(जिला-बस्ती) तथा अकबरपुर(जिला-फैज़ाबाद)को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्तावों के बारे में शीघ्र ही सर्वेक्षण पूरा कराकर शासन को परिषद की संस्तुतियों से अवगत कराया जाय।

18- रानीखेत में भूमि प्राप्त करने हेतु पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाय और अगली बैठक में निश्चित प्रस्ताव रखा जाय।

19- दिलकुशा कालोनी में स्थित कैन्टूनमेंट बोर्ड की भूमि प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय शासन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया जाय और जो निष्कर्ष निकले से परिषद को अगली बैठक में अवगत करायाजाये।

20- पिथौरागढ़ मंसूरी, हमीरपुर तथा नौगढ़ (जिला-बस्ती) में उपयुक्त स्थल का चयन शीघ्र करके प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।

21- देवबन्द, गोपेश्वर तथा गोलागोकरननाथ नगरों के लिये धारा-28 का प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाय।

22- ''क्वालिटी कन्ट्रोल'' के लिये प्रस्तावित सिस्टम की विस्तृत रूपरेखा जो तैयार की जा रही है उसे अगली बैठक में रखा जाय।

प्रो0दिनेश मोहन, निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की ने यह सुझाव दिया कि निर्माण का कार्य पूरा होने के 4-5 माह पूर्व ही यदि भवनों को आवंटित कर दिया जाय तो आवंटियों भी बन रहे भवनों के गुण आदि को समय-समय पर देख सकेंगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि भूतकाल में कुछ मामलों में ऐसी ही कार्यवाही की गयी थी परन्तु स्थल पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष कठिनाई हुई। परिषद ने निर्णय लिया कि जो कठिनाईयां इस संदर्भ में पूर्व में नोटिस में आयी उनका व्याख्यात्मक उल्लेख करते हुये, टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखी जाय ताकि इस संबंध में विचारोपरान्त उपयुक्त निर्णय लिया जा सके ।

भवनों की चतुर्थ स्तरीय गुण नियंत्रण कार्यवाही के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये जो "प्रोफार्मा" बनाया गया है वह काफी बड़ा है। विशेषतः पर्यवेक्षण अधिकारियों के लिये इतने बड़े "प्रोफार्मा" की आवश्यकता न हो उनके लिये एक छोटा सा संशोधित "प्रोफार्मा" तैयार कराकर परिषद की अगली बैठक में रखा जाय ।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			23-निर्माण कार्यों हेतु सीमेन्ट एवं ईटों की उपलब्धता के बारे में विस्तार से विचार विमर्श हुआ। यह निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि आवास गृहों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता की कोटि में रखने हेतु विचार करें और इसीलिये परिषद के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सीमेन्ट का कोटा निर्धारित कर दिया जाय। बैठक में बताया गया कि 4 रैक कोयले का आश्वासन मिला है। यह निर्णय लिया गया कि रेलवे बोर्ड से वैगन 'एलाट' कराने के लिये समुचित स्तर पर अभी से सम्पर्क कर भरसक प्रयास किया जाय अन्यथा भय है कि कोयले की आपूर्ति संभव नहीं हो सकेगी।
3-मुन्सिफ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 चन्दौसी (क्षेत्रफल 10.00 एकड़ अनुमानित लागत 15 364 लाख)	IV/(3)/81		मुन्सिफ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 चन्दौसी के सम्बन्ध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर विचार विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में परिषद ने यह सांवेदा की कि नियोजन समिति द्वारा केवल आख्या ही परिषद के विचार करने हेतु और परिषद के निर्णय लेने तक दी जाती है। अतः जल्दी है कि इसके लिये ''गाईड लाइन्स'' बना दी जायें और यदि पहले से गाइड-लाइन्स बनी हों तो उन्हें ठीक कर लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक आपत्ति-कर्ता (जो श्रेणीवार भी किया जा सकता है) के सम्बन्ध में जो भी संस्तुतियां नियोजन समिति करे पर विचार तथ्यात्मक तथा विशेषात्मक रूप से हो जिसका समावेश नियोजन समिति की आख्या में अवश्य कर दिया जाय।
4-सम्भल गेट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 चन्दौसी (क्षेत्रफल 30.74 एकड़ अनुमानित लागत रु0 47.235 लाख)	IV/(4)/81		सम्भल गेट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, चन्दौसी के संबंध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
5-रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 पूरक, रामपुर।	IV/(5)/81		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 पूरक, रामपुर के संबंध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
6-रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (पूरक) योजना सं0-2	IV/(6)/81	द्वारा	परिषद/विचार विमर्श के उपरान्त रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 पूरक के संबंध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
7-रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, रामपुर।	IV/(7)/81		परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 रामपुर के रु0प0उ0

1	2	3	4
			संबंध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
8-रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4, रामपुर।		IV/(8)/81	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4, रामपुर के संबंध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
9-इज्जतनगर भूमि विकास योजना सं0-2, बरेली में 100 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण।		IV/(9)/81	इज्जतनगर भूमि विकास योजना सं0-2 बरेली में 100 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-गुरुतेग बहादुर नगर योजना, इलाहाबाद में अवशेष भूमि पर उच्च आय वर्ग के 21 भवन, मध्यम आय वर्ग के 56 तथा अल्प आय वर्ग के 19 भवनों के निर्माण के संबंध में।		IV/(10)/81	गुरुतेग बहादुर नगर योजना, इलाहाबाद में अवशेष भूमि पर उच्च आय वर्ग के 21 भवन, मध्यम आय वर्ग के 56 भवन तथा अल्प आय वर्ग के 19 भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को परिषद व्दारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
11-पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 में विनियम-35 में संशोधन हेतु।		IV/(11)/81	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियमावली-1979 के विनियम-35 में प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।
12-परिषद व्दारा प्रदेशित की जाने वाली संपत्ति के वर्तमान शासनादेश दिनांक 24-8-81 के अनुसार संशोधित आरक्षण नीति का लागू किया जाना।		IV/(12)/81	परिषद व्दारा शासन की नीति के अनुसार आरक्षण करने का निर्णय जो शासनादेश दिनांक 24-8-81 में प्राप्त नोट कर लिया गया। इस सम्बन्ध में परिषद ने यह उचित समझा कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग व्दारा प्राप्त अनुदेशों के अनुसार जो अर्न्तजातिय अर्न्तधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्तियों के बारे में परिषद व्दारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी शासन के आवास/राष्ट्रीय एकीकरण विभागों को करायी जाय और उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को भी नेत्रहीन तथा विकलांग आदि के लिये निर्धारित श्रेणी में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आवास अनुभाग से शासन के आवास विभाग के स्पष्ट आदेश प्राप्त किये जाय। परिषद ने आगे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पूर्व निधारित 4% का आरक्षण जिसे घटाकर 3% कर दिया गया है उसे भविष्य में और कम न किया जाय। शासन को परिषद के विचारों से पूर्ण विवरण देते हुए और तर्कसंगत रूप से अवगत कराया जाय और शासन के आवास विभाग का स्पष्ट आदेश इस संबंध में प्राप्त किया जाय।

1	2	3	4
13-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में पदोन्नति व्दारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में।	IV/(13)/81	परिषद में पदोन्नति व्दारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों का आरक्षण प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
14-	''उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फार दि ग्रान्ट आफ हाउस बिल्डिंग एडवान्स टू दि इम्पलाईज आफ दि परिषद-1973'' के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के समान परिषद कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने के संबंध में।	IV/(14)/81	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत, भूमि क्रय हेतु अग्रिम वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के अनुच्छेद-244 के प्राविधानों के अन्तर्गत अंकित की गई शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था भविष्य में की जाय।
15-	परिषद के मुख्यालय पर अभियन्त्रण अनुभाग के तकनीकी स्टाफ को विशेष भत्ता देने के सम्बन्ध में।	IV/(15)/81	परिषद के मुख्यालय पर अभियन्त्रण अनुभाग के तकनीकी स्टाफ को विशेष भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
16-	परिषद कार्यहित में निजी सायकिल प्रयोग करने पर वाहन भत्ता की दरों में वृद्धि के संबंध में।	IV/(16)/81	परिषद कार्यहित में निजी सायकिल प्रयोग करने पर वाहन भत्ता रु0 7-50 से बढ़ा कर रु0 10/= प्रतिमाह करने की स्वीकृति परिषद व्दारा सर्वसम्मति से प्रदान की गई और यह निर्णय भी लिया गया कि इसे दिनांक 1-10-81 की तिथि से लागू किया जाय।
17-	नगर नियोजन एवं वास्तुकला अनुभाग का पुर्नगठन।	IV/(17)/81	परिषद व्दारा नगर नियोजन एवं वास्तुकला अनुभाग के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
18-	सहायक अभियन्ताओं के सेवा विनियम-1973 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री मेहर चन्द, अवर अभियन्ता को प्रोन्नति देने में कम्प्यूटर के पद पर काम न करने के संबंध में छूट।	IV/(18)/81	परिषद व्दारा सहायक अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1973 के नियम-30 के अन्तर्गत श्री मेहर चन्द, अवर अभियन्ता को प्रोन्नति देने में कम्प्यूटर के पद पर काम न करने के संबंध में छूट दिये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
19-	श्री एस0आर0मेहता, सेवा निवृत्त सहायक आवास आयुक्त(प्रशासन) को डबल ड्यूटी एलाउन्स देने के संबंध में।	IV/(19)/81	परिषद व्दारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री एस0आर0मेहता, सेवा निवृत्त, सहायक आवास आयुक्त(प्रशासन) को दिनांक 11-4-1979 से 31-5-1979 तक की अवधि के लिये जब कि वह सहायक आवास आयुक्त(प्रशासन) के साथ-साथ उप आवास आयुक्त एवं सचिव का कार्यभार भी पूर्णकालिक रूप से देख रहे थे डबल ड्यूटी एलाउन्स देने की संस्तुति शासन को भेज दी जाय।
20-	उप निबन्धक सहकारिता के एक पद (वेतनमान-रु0 800-1450) का सृजन।	IV/(20)/81	परिषद व्दारा उप निबन्धक सहकारिता का एक नया पद (वेतनमान रु0 800-1450) के लिये इसके सृजन के विषय में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 के अन्तर्गत पंजीकरण आदि में जो भी व्यय

1	2	3	4
			परिषद को सम्प्रति में वहन करना पड़ रहा है को शासन व्दारा ही वहन किया जाना चाहिये। इस विषय पर व्याख्यात्मक टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में परिषद के निर्णय हेतु रख दी जाय।
21-	डायमण्ड डेरी योजना लखनऊ स्थित दुकान सं०-1, के समीप स्थित भूमि का उपयोग।	IV/(21)/81	इस प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अगली बैठक के लिये स्थगित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी अगली बैठक में रखी जाय उसमें इस संदर्भ में परिषद व्दारा पूर्व में लिये गये निर्णयों तथा उप समिति की संस्तुतियों का भी समावेश किया जाय।
22-	परिषद व्दारा गठित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट।	IV/(22)/81	कार्यान्वयन समिति व्दारा प्रस्तुत की गयी समीक्षात्मक रिपोर्ट पर परिषद में विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि निम्न मदों को छोड़कर जो अगली बैठकों में विचार हेतु रखे जायेंगे शेष मदों के बारे में कार्यान्वयन समिति के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जायें। 1-परिषद व्दारा निर्माण सामग्री के उत्पादन के संबंध में प्रो०दिनेश मोहन व्दारा दिये गये प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयानुसार निर्माण सामग्री के विभिन्न उद्योगों को ''प्राइवेट इण्टर प्रिनर्स'' व्दारा चलाया जाय और आयुक्त एवं निदेशक उद्योग तथा सचिव, उद्योग विभाग से परामर्श कर ऐसे उद्योगों की स्थापना पर तुरन्त ही प्रभावी कार्यवाही की जाय और परिषद को अगली बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय। 2-परिषद ''प्राइवेट इण्टर प्रिनर्स'' को लाइम पोजोलोना प्लान्ट'' स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करे तथा राज्य के किसी उपयुक्त जनपद अथवा जनपदों में प्रश्नगत ''प्लान्ट्स लगाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाय। की गई कार्यवाही से परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाये। 3-लकड़ी की ''सेकण्डरी स्पेसीज'' को दरवाजों में प्रयुक्त करने हेतु ''सीज़निंग प्लान्ट'' को स्थापित किया जाय और इसके लिये प्राइवेट इन्टरप्रिनर्स'' को प्रोत्साहित करने एवं लखनऊ के सीज़निंग प्लान्ट से शटरस् खरीदने पर भी विचार किया जाय। की गई कार्यवाही से परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
23-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के प्रथम संशोधन के संबंध में।	IV/(23)/81	आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के नियम-5 तथा लेखा शाखा के उप नियम में निम्नलिखित संशोधन को परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया:-
	<u>वर्तमान रेगुलेशंस</u> विनियम-5 (ख) लेखा शाखा (1) सीधी भर्ती व्दारा।		<u>प्रस्तावित संशोधन जो स्वीकृत हुआ।</u> 1-सीधी भर्ती व्दारा 67% 2- ऐसे स्थाई प्रवर वर्ग सहायक व्दारा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कामर्स की डिग्री धारक हों और जिन्होंने

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया हो अन्यथा ऐसे थाई नान कामर्स ग्रेजुएट प्रवर वर्ग सहायक जिन्होंने प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो और जिन्होंने एक वर्ष का लेखा सम्बन्धी कार्य का अनुभव प्राप्त किया हो अन्यथा ऐसे नान ग्रेजुएट थाई प्रवर वर्ग सहायक जिन्होंने प्र0व0स0के पद पर कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया हो और जिन्होंने एक वर्ष का लेखा संबंधी कार्य का अनुभव प्राप्त किया हो।
24-	विधि निरीक्षक संवर्ग में रु0 450-950 के वेतनमान में दो सेलेक्शन ग्रेड का सृजन।	IV/(24)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि निरीक्षक के संवर्ग में एक ''सेलेक्शन ग्रेड'' रु0 450-25-575-द0रो0-35-900-50-950 का वेतनमान सृजित कर दिया जाय जिसमें दो पद रखे जायें।
25-	परिषद में मुख्य अभियन्ता व्दारा उनके निवास बी0 935 सेक्टर बी0-महानगर के देय किराये में उनके वेतन के 10% धनराशि को छोड़कर शेष धनराशि की परिषद व्दारा प्रतिपूर्ति के संबंध में।	IV/(25)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिसम्बर-1981 तक की अवधि अथवा जब मुख्य अभियन्ता को ''सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम'' के अन्तर्गत भवन प्रदिष्ट हो जायें इसमें से जो भी पहले हो, उनके वेतन के 10% धन को छोड़कर शेष धनराशि की प्रतिपूर्ति बतौर किराया भत्ता के रूप में स्वीकृति की जाय और स्वीकृति आदेश शासन के अनुमोदन लेने के बाद जारी किया जाय।
26-	आवास परिषद की देहली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 हरिव्दार के पुनरीक्षित क्षेत्रफल एवं मुआविज़ों की धनराशि में वृद्धि।	IV/(26)/81	आवास परिषद की देहली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 हरिव्दार के पुनरीक्षित क्षेत्रफल एवं मुआविज़ों में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
27-	परिषद अधिनियम की धारा-28, 29 तथा 30 के अन्तर्गत आपत्तियों की सुनवाई हेतु नियोजन समितियों का गठन।	IV/(27)/81	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव पर इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि प्रत्येक नियोजन समिति में परिषद का एक अशासकीय सदस्य अवश्य रखा जाय जिसका नामांकन अध्यक्ष महोदय व्दारा किया जायगा।
28-	पठानपुरा योजना सं0-5 सहारनपुर की भूमि अध्याप्ति व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।	IV/(28)/81	पठानपुरा योजना सं0-5 सहारनपुर की भूमि अध्याप्ति व्यय हेतु अतिरिक्त धनः की स्वीकृति के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि पठानपुरा योजना सं0-5 के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय का संशोधित आंकलन अगली बैठक में रखा जाय।
29-	फिरोज़ाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 फिरोज़ाबाद में समाविष्ट श्री हरिओम प्रकाश व अन्य की भूमि के संबंध में।	IV(29)/81	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया। (क) उपरोक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस बीच यह देख लिया जाय कि फिरोज़ाबाद नगर के लिये तैयार किया गया मास्टर प्लान पर शासन व्दारा स्वीकृति दी जा चुकी है अथवा नहीं। प्रस्तावित मास्टर प्लान अथवा स्वीकृत मास्टर प्लान में यह भूमि किस भू-प्रयोग हेतु आरक्षित है इसकी भी सूचना संकलित कर अगली बैठक में रख दी जाय। (ख) अध्यक्ष महोदय ने फिरोज़ाबाद का

कृ0प0उ0

अन्य मामला जिसके आवेदक श्री रतन लाल है को ओर परिषद का ध्यान आकृष्ट किया और जो विषय भूतपूर्व ईंट के भट्टे की भूमि से सम्बन्धित है अध्यक्ष महोदय ने पंत्रावली में अगस्त-1981 में निर्देश दिये थे कि प्रश्नगत मामला परिषद की 18-8-81 की बैठक में रखा जाय किन्तु उसे न तो 18-8-81 की बैठक में रखा गया और न 24-9-81 की बैठक में। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रश्नगत मामला परिषद की अगली बैठक में प्रत्येक दशा में रखा जाये।

30-परिषद की मानीटरिंग समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही। IV/(30)/81

परिषद की मानीटरिंग समिति की दिनांक 23-9-81 को हरिद्वार में हुई बैठक की कार्यवृत्त को बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त विभिन्न महत्वपूर्ण मदों में कार्य का लक्ष्य जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित है निम्न प्रकार से परिस्थितियोंवश घटा कर संशोधित किया गया:-

	पूर्व निर्धारित लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य
भूमि अर्जन	5,000 एकड़	2000 एकड़
भूमि विकास	1,000 एकड़	600 एकड़
भवन निर्माण-	16,000 भवन	13,500 भवन
भूखण्ड	3,000 भूखण्ड	1,400 भूखण्ड

31-निर्माण कार्य की समीक्षा (31 अगस्त-1981 तक) IV/(31)/81

भूमि अध्याप्ति की विधिवत् कार्यवाही में हो रहे असाधारण विलम्ब तथा अर्जन से सम्बन्धी विशेष कठिनाई को देखते हुये परिषद ने यह निर्णय लिया कि भूमि ''प्राईवेट निगोसियेशन'' द्वारा भी लेने का प्रयास किया जाय और इसके लिये ''गाईड लाइन्स'' बनाकर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रो0दिनेश मोहन ने झांसी की योजना में भूमि अध्याप्ति में हो रहे बिलम्ब की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अध्याप्ति की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराने का भरसक प्रयास किया जाय।

परिषद ने वाह्य विद्युतिकरण के कार्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा अग्रिम भुगतान के पश्चात् भी किये जो रहे अतिशय विलम्ब की ओर ध्यान आकर्षित करने पर यह निर्णय लिया कि वाह्य विद्युतिकरण का कार्य भी परिषद अपने अभियन्ताओं द्वारा उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद/इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप कराये। शासन को इस संबंध में अनुमति देने हेतु अनुरोध किया जाय जैसा ज्ञात हुआ है कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0के संबंध में शासन द्वारा ऐसी अनुमति दी जा चुकी है।

नन्दनपुरा तथा लालपुरा योजना, झांसी में पानी की उपलब्धता में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये जल निगम

1	2	3	4

जल संस्थान से संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया और ''डी0टी0एच0ड्रिल व्दारा तैयार कराये हैण्ड पम्प के लगाने पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

सीमेन्ट की बचत किये जाने के संबंध में प्रो0दिनेश मोहन व्दारा दिये गये सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि प्लास्टर में कम्पोज़िट मोर्टार का उपयोग विस्तार से किया जाये।

यह निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग के भवनों में जैक आर्क प्रूफ का प्रयोग करके क्या परिणाम निकलता है का मूल्यांकन किया जाय।

यह निर्णय लिया गया कि साईम पोजोलोना को देहरादून या उसके आस-पास के क्षेत्रों की योजनाओं में प्रयोग करके उसका परिणाम को जाँच लियाजजाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि अवर अभियन्ताओं/ सहायक अभियन्ताओं को ''प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के संबंध में ''गाइड-लाइन्स'' बनाकर परिषद की अगली बैठक में रख दी जाय। प्रस्तावित ''गाइड-लाइन्स'' में यह भी प्राविधान रखा जाय कि जब तक अवर अभियन्ताओं/ सहायक अभियन्ताओं 'प्रोफेशनल परीक्षा पास न कर लें उनको वेतन वृद्धि न दिया जाय और स्थाई न किया जाय।

32-अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय। IV(32)/81

प्रोफेसर दिनेश मोहन ने परिषद की मानीटरिंग कमेटी तथा परिषद की अगली बैठक के लिये प्रस्ताव किया कि उसे नवम्बर-1981 में रखा जाय। परिषद ने निर्णय लिया कि मानीटरिंग कमेटी की अगली बैठक परिषद के कार्यालय में शुक्रवार दिनांक 20 नवम्बर-को होगी। और परिषद की अगली बैठक शनिवार दिनांक 21 नवम्बर-1981 को परिषद के कार्यालय में होगी।

रुड़की में बैठक आयोजित हुई और जो अति उत्तम प्रबन्ध प्रोफेसर दिनेश मोहन, डाईरेक्टर, सी0बी0आर0आई0 तथा उनके सहयोगी अधिकारियों व्दारा किया गया और प्रयोगशाला इत्यादि जो सदस्यों को दिखाई गई और जो अन्वेषणालय तथा विकास का कार्य सदस्यों ने देखा और सदस्यों तथा परिषद को अद्यावधि जानकारी मिली के लिये अध्यक्ष महोदय ने हार्दिक कृतज्ञता प्रोफेसर दिनेश मोहन को बैठक के अन्त में प्रकट की।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुए समाप्त की गई।

पुरी की गई

10/12/81

अध्यक्ष